

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.142 पार्ट 5/स्वा.का.पु./2019/

दिनांक :-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11(7)एफडी/नियम/2008 दिनांक 12.9.2008 एवं सशोधित आदेश क्रमांक एफ.14(88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.09 एव दिनांक 05.07.13 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित स्वा० कार्यकर्ता (पुरुष) को उनके नामों के सम्मुखानुसार एतद द्वारा एसीपी. स्वीकृत की जाती है—

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पदस्थापन जिला	सवर्ग मे नियुक्ति दि.	पूण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति दिनांक	पै-बैंड	ग्रेड-पे
1	श्री मोहम्मद इस्माईल, चित्तोडगढ	21.06.90	27 वर्ष	21.06.17	9300-34800	4200

स्वीकृत एसीपी में वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

U

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

क्रमांक एफ.142 पार्ट 5/स्वा.का.पु./2019/445

दिनांक :- 22/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तोडगढ।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बेंगू (चित्तोडगढ)।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. आदेश पत्रावली।

U

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर